वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 25.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 25.05.2025

अवैध निर्माण पर वीडीए ने चलवाया बुलडोजर

वाराणसी। सारनाथ के दानियालपुर में विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कराया। पुराना पुल के पास सुक्खू वरुणा नदी से 50 मी. के दायरे में 75 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्माण करा रहे थे। कार्रवाई के दौरान अभियंता वर्तिका दुबे उपस्थित रहीं। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 25.05.2025

वीडीए ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण

जासं, वाराणसी : वीडीए के जोन दो के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि सारनाथ वार्ड के पुलकोहना दनियालपुर में वरुणा नदी से 50 मीटर के दायरे में सुक्खू अवैध निर्माण कर रहे थे। शनिवार को बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया।

न्यायाधीश–दि0 25.05.2025

अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-2 , वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-सारनाथ, मौजा-पुलकोना दनियालपुर निकट पुरानापुलङ के अन्तर्गत सुक्खू द्वारा वरूणा नदी से 50 मी0 के अन्तर्गत लगभग 75 वर्ग मी0 के क्षेत्रफल में किये गये अनाधिकृत निर्माण को आज दिनांक 24/05/2025 ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश एवं अवर अभियंता वर्तिका दुबे तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 25.05.2025

वाराणसी में अवैध निर्माण पर वीडीए का एक्शन

चन्दौली। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने मुगलसराय में बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। VDA की टीम ने शुक्रवार को मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में 8 निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारतों को सील कर दिया।वीडीए के जोनल अधिकारी गौरव जयप्रकाश और अवर अभियंता अशोक यादव की टीम ने मढ़िया में रतनदीप सिंह और नरेश यादव के मकान को सील किया। गिधौली में संतोष गुप्ता का निर्माणाधीन मकान सील हुआ। चंधासी में अनिल अग्रवाल का बहुमंजिला मकान और सतपोखरी में महेंद्र शर्मा का मकान सील किया गया। बेचूपुर में सुरेंद्र कौर के दो बहुमंजिला भवन और टेंगरा मोड़ पर रामाश्रय सिंह का बहुमंजिला मकान भी सील किया गया।जोनल अधिकारी ने बताया कि सभी निर्माणाधीन मकान बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे थे। इन निर्माणों के लिए विकास प्राधिकरण से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत पहले नोटिस जारी की गई थी। निर्माणकर्ताओं की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्माण से पहले वाराणसी विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना अनिवार्य है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।